भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 3548

सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक)

केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन

3548. श्री प्रदीप कुमार सिंह:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिनांक 29 मई, 2025 से शुरू की गई ''केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं (सीएस) के मूल्यांकन और अनुमोदन'' की प्रक्रिया के उद्देश्य और दायरे क्या हैं;

(ख) क्या इस प्रक्रिया में मौजूदा योजनाओं का तृतीय-पक्षकार मूल्यांकन, सनसेट रिव्यू और मौजूदा योजनाओं का परिणाम-आधारित मूल्यांकन शामिल है, जैसाकि केंद्रीय बजट 2016 में घोषित नीति में स्पष्ट रूप से बताया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे मूल्यांकन के लिए क्या प्रक्रिया और मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(घ) वर्तमान में सरकार द्वारा चलाई जा रही उन योजनाओं की संख्या कितनी है जिनका पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है और किन-किन योजनाओं के लिए मंत्रिमंडल के नए अनुमोदन की आवश्यकता है;

(ङ) क्या सरकार ने योजनाओं के लिए संसाधन आवंटन हेतु कोई रूपरेखा निर्धारित की है; और

(च) यदि हाँ, तो उक्त प्रक्रिया के लिए क्या मानदण्ड और सूत्र अपनाए गए हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): दिनांक 29 मई, 2025 को आरंभ की गई "केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं (सीएस) के मूल्यांकन और अनुमोदन" की प्रक्रिया का उद्देश्य और कार्य क्षेत्र वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2016 के अपने बजट अभिभाषण में घोषित नीति पर आधारित है, जिसमें कहा गया था कि *"सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, सरकार द्वारा स्वीकृत की जा रही प्रत्येक नई योजना की समाप्ति की तारीख और परिणामी समीक्षा होगी"।* प्रत्येक योजना अगले चक्र के लिए मूल्यांकन और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन के रूप में परिणामी समीक्षा के अध्यधीन है। मूल्यांकन प्रक्रिया, *अन्य बातों के साथ-साथ,* किसी चालू योजना की प्रासंगिकता, स्थिरता, प्रभावशीलता, इक्विटी, सुसंगतता और प्रभाव को उजागर करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अगले चक्र के

लिए किसी योजना का मूल्यांकन और अनुमोदन करते समय, सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से सार्वजनिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जाए।

(घ) पुनर्मूल्यांकन के लिए योजनाओं की संख्या और अनुपात, जिसके लिए मंत्रिमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होगी, मूल्यांकन प्रक्रिया के परिणामों पर निर्भर करेगा, जिसका उपयोग मंत्रालयों द्वारा वांछित आउटपुट और परिणाम प्राप्त करने के लिए अनुमानित मौजूदा योजनाओं और राजकोषीय संसाधनों को युक्तिसंगत बनाने और पुनः तैयार करने के लिए किया जाएगा।

(ङ) से (च) व्यय विभाग द्वारा जारी सामान्य दिशानिर्देशों के अनुसार, जारी योजना के कुल अनुमानित परिव्यय का मूल्यांकन वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 (वास्तविक व्यय) तथा वित्त वर्ष 2024-25 (संशोधित व्यय) के दौरान व्यय तथा किन्हीं विशेष आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा।

****